4.5.18 पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में राजकीय आदेश मा० वि० जोरमपुरा पेश हुई। वकील वादी एवं प्रतिवादी

छोटू राम

मदनलाल

ओम प्रकाश

स० 1, 3, 4 उपस्थित है शेष प्रतिवादीगण प्रतिवादियों को मजमे आम में आवाज दिलवाई गई परन्तु उपस्थित नहीं आये। वकील वादी ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी स० 1 ता 4 के विरुद्ध ही रिलीफ चाही है एवं स्थाई निषेधाज्ञा का ही वाद है। पक्षकारान को सुना गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया वादी एवं प्रतिवादी स० 5 ता 25 की खातेदारी की आराजी है। प्रति-स० 1 ता 4 पड़ोसी खातेदार है। वकील वादी ने निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद 1 ता 4 के विरुद्ध है। प्रति-स० 1 ता 4 का विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है नहीं वे रहद खातेदार है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद डिक्री करने का श्रम करावे। अत: वादी का लोक अदालत की भावना से डिक्री किया जाकर आ० ख० नं० 109/2, 114/2, 122/2, 123/1, 123/2, 124, 125, 126/1, एवं 127/2 कुल किता 9 कुल रकबा 23 बीघा 3 बिस्वा वाके ग्राम पीपली का बास में प्रति-स० 1 ता 4 वादीगण के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में मजाहमत नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। पत्रावली डिक्री पर्चा तैयार होकर शामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर में जमा हो। आदेश मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

सांभर लेक